

Tender form for Vardi Stitching
Tender form fee Rs 200/-
Due date 20.05.2013 up-to 9.00 a.m.

RAJASTHAN HIGH COURT BENCH JAIPUR

TENDER FORM

1. Tender for
2. Name and postal address of the firm submitting tender
.....
.....
.....
3. Address to
4. Reference
5. The tender fee amounting to Rs. 200/- has been deposited vide cash receipt No. and date
6. We agree to abide by all the conditions mentioned in Tender Notice No. RHCB/STORE/2013-2014/62 dt. 07.05.2013 and also the further condition of the said Tender Notice given in the attached sheets (all the pages of which have been signed by us in token of our acceptance of the term mentioned therein).
7. The rates for the stitching of Vardies noted against each are as under -:

<i>Category</i>	<i>Detail of Vardies</i>	<i>Cost per Vardi</i>
A	जोधपुरी सूट	
B	हंदिग सूट	
C	शेरवानी	
D	गर्म कोट व पेन्ट	
E	गर्म पेन्ट	

8. The rates quoted above are valid up to 31.05.2014. The period can be extended with mutual agreement.
09. Bank Draft/Bankers Cheque No. drawn on (Name of Banker)/ cash receipt No. /Challan No. and date for Rs. to cover earnest money is enclosed.
10. The Income Tax Clearance Certificate, Sales Tax Registration Number and Sales Tax Clearance Certificate are submitted herewith.
11. Declaration of manufacturer/Dealer, etc., is also enclosed.

Signature of tender

Tender Conditions for Vardi Stitching

निविदा की शर्तें

निविदा-दाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदा भेजते समय इनका पूर्णरूपेण ध्यान रखकर पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर निविदा के साथ लौटावें

1. निविदाएँ मुहर बंद लिफाफे में भेजी जानी हैं। निविदा प्रपत्र के साथ आचकर चुकता प्रमाण पत्र, पैन नम्बर, बिक्रीकर, पंजीयन नम्बर एवं चुकता प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिये।
2. निविदा प्रपत्र स्याही वाले पैन द्वारा भरा जावे या टंकित होना चाहिये तथा दरें शब्दों एवं अंकों, दोनों में बिना काँट छाँट के स्पष्ट रूप के अंकित की जानी चाहिए। निविदादाता को सिलाई कार्य का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
3. दरें गन्तव्य स्थान राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर तक एफ.ओ.आर. उद्धत की जानी चाहिये तथा सभी कर एवं लागते समाहित होनी चाहिये।
4. सफल निविदादाता से एकमुश्त अथवा 31.03.2013 तक कभी भी वर्दियां सिलवायी जा सकती हैं।
5. निविदादाता अपनी स्वीकृत दरों को अथवा उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौपेगा। (सबलेट नहीं करेगा)
6. निविदा में मांगी गयी वर्दियों का पूर्ण विवरण (साईज, मैक, स्पेशिफिकेशन, शर्तें, ड्राईंग्स आदि) देना होगा।
7. यदि वर्दियों की सिलाई अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं की जाती है, तो निविदादाता को सुनवाई का एक उचित अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी निविदा/संविदा किसी भी समय निरस्त कर सकता है।
8. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।
9. कार्यालय आदेश जारी किया जाने के बाद वर्दियों की सिलाई निर्धारित समयअवधि में की जानी होगी।
10. यदि कार्यालय अधिकारी किन्हीं वर्दियों की सिलाई नहीं करता है या निविदा सूचना में निर्दिष्ट मात्रा से कम वर्दियों की सिलाई कराता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकारी नहीं होगा।
11. जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार की जावेगी उसे 5 प्रतिशत सिक्यूरिटी डिपोजिट जमा करानी होगी। बयाना राशि सिक्यूरिटी डिपोजिट में समायोजित कर ली जावेगी।
यदि निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा स्वीकार करने से पहले प्रस्ताव को वापिस लेता है, या रूपान्तरण करता है या विदित समय में कशर निष्पादित नहीं करता है या निविदा स्वीकार करने के बाद सिक्यूरिटी राशि जमा नहीं कराता है या आदेशित सामग्री की आपूर्तिप्रदान करने में विफल रहता है तो बयाना राशि जब्त कर ली जायेगी।
12. क्रेता अधिकारी को बिना कारण बताये निविदा को किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार होगा।
13. सशर्त निविदा निरस्त योग्य होगी।
14. कार्यालय आदेश की निर्धारित अवधि में वर्दियों की सिलाई नहीं करने पर परिसमापित नुकसानी (लिव्कीडिटी डेमेज) निम्न प्रकार वसूली योग्य होगी।
(क) निर्धारित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि के विलम्ब के लिये

कार्यालय की राशि का 2.5 प्रतिशत ।

(ख) निर्धारित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि तक के विलम्ब के लिये कार्यालय आदेश राशि का पाँच प्रतिशत ।

(ग) निर्धारित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक तीन चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिये कार्यालय आदेश राशि का साढ़े सात प्रतिशत ।

(घ) निर्धारित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिये कार्यालय आदेश राशि का दस प्रतिशत ।

15. प्रदान में विलम्ब की अवधि की मणना के लिये आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जावेगा एवं परिसमाप्त नुकसानी की अधिकतम राशि दस प्रतिशत होगी ।

16. क्रय समिति को पूर्ण अथवा आंशिक निविदा स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।

19. क्रय समिति बिजसि में दी गई मात्रा से अधिक/ कम मात्रा में आवश्यकतानुसार वर्दियों की सिलाई करा सकेगी ।

20. वर्दी सिलाई/फिटिंग सही नहीं होने पर फर्म को पुनः वर्दी सिलाई करके देनी होगी। वर्दी का कपडा बिगडने पर कपडा स्वयं फर्म को अपने स्तर पर वैसा ही कपडा क्रय करके पुनः वर्दी सिलाई करके देनी होगी।

21. किसी भी विवाद की स्थिति में रजिस्टार प्रशासन का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

22. सफल निविदादाता फर्म को 500/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।

23. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।